रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1580] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2011/श्रावण 25, 1933

No. 1580] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2011/SRAVANA 25, 1933

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2011

गोवा, दमन और दीव (बैंक पुनर्निर्माण) विनियमन, 1962 (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2011

का.आ. 1898(अ).—जबकि, गोवा की मुक्ति के पश्चात्, गोवा, दमन और दीव (बैंक पुनर्निर्माण) विनियमन, 1962 (1962 की सं 11) (इसमें इसके बाद विनियमन कहा जाएगा) को तत्कालीन पुर्तगाली बैंकों की दो शाखाओं, नामत: बानको नेसिनल उल्ट्रामेरिनो (बी.एन.यू.) और कैक्सा इकोनोमिका डी गोवा (सी.ई.डी.जी.), के पुनर्निर्माण और उससे संबंधित मामलों अथवा मुद्दों के लिए प्रख्यापित किया गया था ।

और जबकि, विनियमन के खण्ड 4 के अधीन इन बैंकों के अवशिष्ट कार्य के उपयुक्त प्रबंधन से संबंधित सभी शक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अभिरक्षक के पास निहित किया गया था ।

और जबकि, बी.एन.यू. की विभिन्न शाखाओं के पास सी.ई.डी.जी. के जमा थे । बी.एन.यू. ने सी.ई.डी.जी. को 70 लाख रुपये की राशि का ऋण भी दिया था ।

और जबकि, विनियमन के खण्ड 10 के अधीन परन्तुक (ख) में यह निषेध है कि पुर्तगाली नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों के किसी भी पुर्तगाली नागरिक अथवा रिहायशी अथवा सी.ई.डी.जी. या ऐसी किसी भी संस्था को जिसका भारत में पूर्व पुर्तगाली प्रशासन द्वारा पूर्णरूप से नियत दिन को वित्त-पोषण किया गया हो, किसी प्रकार भुगतान किया जाए ।

और जबकि, विनियमन के खण्ड 11 की उप-धारा (ख) के प्रथम परन्तुक में यह निषेध है कि पुर्तगाली नागरिक अथवा पुर्तगाली नियंत्रणाधीन क्षेत्रों के किसी भी रिहायशी को तब तक भुगतान न किया जाए जब तक कि इसके लिए विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए अथवा जब तक बी.एन.यू. के मुख्यालय अथवा अन्य कार्यालयों से अथवा पुर्तगाली सरकार से वसूली योग्य परिसंपत्तियों जैसा भी मामला हो, की पूर्ण रूप से वसूली या प्राप्ति न हो जाए ।

और जबकि, उपर्युक्त विनियमन के खंड 24 के अधीन परन्तुक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि इस विनियमन के किसी भी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई दिक्कत पेश आती है तो आदेश द्वारा दिक्कत को दूर करने के प्रयोजनार्थ ऐसा कुछ भी किया जाए जो करना आवश्यक हो किन्तु आदेश ऐसे उपबंध से असंगत न हो ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार विनियमन के खण्ड 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश तैयार करके तत्कालीन दोनों पुर्तगाली बैंकों नामत: बानको नेसिनल उल्ट्रामेरिनो (बी.एन.यू.) और कैक्सा इकोनोमिका डी गोवा (सी.ई.डी.जी.) को इस बात की अनुमति देती है कि ये बैंक एक दूसरे को अपेक्षित धनराशि का भुगतान करके/अथवा एक दूसरे के प्रति देयताओं का आपस में समायोजन करके अपनी देयताओं का निपटान कर सकते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस आदेश को गोवा, दमन और दीव (बैंक पुनर्निर्माण) विनियमन, 1962 (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2011 के नाम से जाना जाए ।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

[फा. सं. 66/1/2006-बी.ओ. II]

आलोक निगम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2011

THE GOA, DAMAN & DIU (BANKS RECONSTRUCTION) REGULATION, 1962 (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2011

S.O. 1898(E).—Whereas, after liberation of Goa, the Goa, Daman & Diu (Banks Reconstruction) Regulation, 1962 (No. 11 of 1962) (hereinafter called as Regulation) were promulgated for reconstruction of the branches of two erstwhile Portuguese Banks *viz.* Banco Nacional Ultramarino (BNU) and Caixa Economica de Goa (CEDG) and for matters connected therewith or incidental thereto.

And whereas, under clause 4 of the Regulation all the powers for the proper management of the residual work of these banks were vested with the Custodian appointed by the Central Government.

And whereas, various branches of BNU hold deposits of CEDG. The BNU has also lent a sum of Rs. 70 lakhs to CEDG.

And whereas, the proviso (b) under clause 10 of the Regulation prohibits any payment to a Portuguese national or any person resident in any of the territories under Portuguese control or Caixa Economica de Goa (CEDG) or any organization which on the appointed day was financed wholly by the former Portuguese administration in India.

And whereas, the Ist proviso under sub-clause (b) of clause 11 of the Regulation prohibits making of any payment to a Portuguese national or to any person resident in any of the territories under Portuguese control unless such payment has been specifically authorized by the Central Government or unless the assets recoverable from the head office or other offices of the Banco Nacional Ultramarino (BNU) or from the Portuguese Government, as the case may be, have been recovered or realized in full.

And whereas, the proviso under clause 24 of the said Regulation empowers the Central Government that if any difficulty arises in giving effect to any of the provision of this Regulation, by order, do anything not inconsistent with such provision which may appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause 24 of the Regulation, the Central Government permits the erstwhile two Portuguese banks i.e. Banco Nacional Ultramarino and Caixa Economica de Goa to discharge their liabilities towards each other by making required payments to each other and/or by way of *inter-se* adjustment of their liabilities towards each other, by making the following Order, namely :—

Short title and commencement

(1) This Order may be called the Goa, Daman & Diu (Banks Reconstruction) Regulation, 1962 (Removal of Difficulties) Order, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

[F. No. 66/1/2006-B.O. II]

ALOK NIGAM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.